अर्द्धवार्षिक सांदर्भिक शोध पत्रिका
वर्ष 12, अंक 2, सितम्बर 2018
आई.एस.एस.एन : 0974–4118

विचार

श्री जय नारायण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

Accredited Grade 'A' by NAAC

Website : www.jnpg.org.in

Scanned with CamScanner

अनुक्रमणिका

1.	प्राचीन भारतीय राज्य का स्वरूप अनुज कुमार मिश्रा	1-4
2.	एक श्रद्धांजली नामवर सिंह के नाम–सार शैलजा रमेश पाटील	5-7
3.	'तिन पहाड़' के पात्रों में प्रेम, द्वन्द्व एवं संघर्ष दीपा त्यागी	8-10
4.	स्त्री–हत्या का शास्त्रीय निषेध नौनिहाल गौतम	11-14
5.	एक अर्थपूर्ण कृति– 'यह सब मैं निज नयनन्हि देखी' भावना श्रीवास्तव	15-17
6.	डॉ अमिता दुबे की आलोचना दृष्टि रमेश प्रताप सिंह, ममता दास	18-21
7.	बाल श्रम पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधान–एक समीक्षा सुनील पति त्रिपाठी	22-25
8.	Socio-economic status of females in Informal sector in Uttar Pradesh: A study of Village Rithali, District Sambhal, Uttar Pradesh *Rachna Dixit, Aarushi Chaba*	26-31
9.	Women, Environment and Development *Santosh Kumar*	32-36
10.	Fiscal Federalism in India: Horizontal Devolution *Anjali Singh*	37-41
11.	A Study of Legal and Economic Aspects of Bitcoins in India *Abhishek Pandey*	42-46
12.	Migration Pattern and Employment Structure of Unregistered Urban Informal Sector Workers in Agra and Kanpur Cities in Uttar Pradesh *Anamika*	47-52

Scanned with CamScanner

Vichar
Vol 12, No. 2 September (2018), ISSN: 0974-4118, 11-14

स्त्री–हत्या का शास्त्रीय निषेध

नौनिहाल गौतम*

सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470003

Publication Info

Article history:
Received : 22 June 2018
Accepted : 16 July 2018
DOI: 10.29320/vichar.12.2.4

सूचक शब्द
स्त्री हत्या,
प्राचीन भारतीय शास्त्र,
वेद, रामायण, महाभारत,
धर्मशास्त्र, साहित्य,
स्त्रीहत्या का निषेध,
विरोध, प्रायश्चित्त,
निन्दा, बहिष्कार,
दण्डविधान, उपाय।

Corresponding author:
Email: dr-naunihal@gmail.com
Tel.: 09826151335

सारांश

वैज्ञानिक व भौतिक उन्नति के होने पर भी समाज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वाधिक दुःखद है– स्त्रीहत्या। स्त्रीहन्ता समाज को कदापि सभ्य नहीं कहा जा सकता है। भारत में स्त्रियों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता रहा है किन्तु वर्तमान में हो रहीं बलात्कार और हत्याओं जैसी घटनाएं समाज के लिए अभिशाप की तरह हैं। भारतीय प्राचीन शास्त्रों में स्त्रियों की हत्या का एक स्वर में निषेध किया गया है। कई ग्रन्थों में स्त्रीहत्या के लिए कठोर प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। वैदिक साहित्य से लेकर आज तक के साहित्य में स्त्री हत्या का निषेध, विरोध किया गया है। अनजाने या अनचाहे भी स्त्री की हत्या हो जाने पर कठिन प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है। सगे सम्बन्धियों द्वारा की गयी स्त्रियों की हत्याओं के लिए धर्मशास्त्र में अगले जन्म तक पाप भोगने का निर्देश है। शास्त्रों में पापियों के बहिष्कार के विधान हैं। स्नेह या लोभ या किसी प्रकार के लगाव या अज्ञान के कारण जो लोग पापियों की सहायता करते हैं, वह पाप उनको भी लग जाता है। यह एक प्रकार की पापियों की सामाजिक बहिष्कृति है। आधुनिक कवियों ने स्त्रीहत्या के विरुद्ध तीव्र विरोध दर्ज कराया है। स्त्री इस संसार में किसी की भी शत्रु नहीं है। वर्तमान में स्त्रीहत्या जैसे अपराधों पर मृत्यु पर्यन्त दंड तक का भी विधान किया गया है किन्तु केवल दंड विधान से अपराधों को रोकना संभव नहीं है। बचपन से ही बच्चों के संस्कारों में नारी के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत की जानी चाहिए। परोक्ष पापों से रोकने के लिए धर्मपरायणता का आश्रय लेने, आचरण और व्यवहार में शुचिता लाने तथा मानव मूल्यों की सीख से परिपूर्ण उदात्त चरितों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है। 'मातृवत् परदारेषु' अर्थात् 'परायी स्त्री माँ समान' को प्रतिष्ठित किये जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक स्त्री की रक्षा करना और उसके लिए सम्मान पूर्ण जीवन सुनिश्चित करना पूरे मानव समाज की साझी जिम्मेदारी है।

प्रस्तावना

मानव प्रतिदिन हकिह प्रगति के नये आयाम गढ़ रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से आज चाँद को छूने में भी कामयाबी हासिल हो गयी है। विश्व की भौतिक उन्नतियों में स्त्रियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है किन्तु भौतिक उन्नति के होने पर भी वर्तमान में इस आधी आबादी (स्त्रियों) को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वाधिक दुःखद है– स्त्रीहत्या। कोई समाज कितना भी विकसित क्यों न हो जाए! किन्तु स्त्रीहन्ता समाज को सभ्य कदापि नहीं कहा जा सकता है। स्त्रीहत्या के लिए कोई भी दण्ड या प्रायश्चित्त कम ही होगा।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह ध्यातव्य है कि यहाँ स्त्रियों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता रहा है किन्तु वर्तमान में स्त्रियों पर बलात्कार और हत्याओं जैसी निन्दनीय घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं समाज के लिए अभिशाप की तरह हैं। एक सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं पूरी सामाजिक व्यवस्था की जड़ें हिला देने वाली हैं। भारतीय प्राचीन शास्त्रों में स्त्रियों की हत्या का एक स्वर में निषेध किया गया है। कई ग्रन्थों में स्त्रीहत्या के लिए कठोर प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। गौरतलब है कि किसी कृत्य के लिए दण्ड का निर्धारण किया जाना भी यह ज्ञापित करता है कि वह कृत्य निषिद्ध है। वैदिक साहित्य से लेकर आज तक के साहित्य में स्त्री हत्या का निषेध किया गया है। अनजाने या अनचाहे भी स्त्री की हत्या हो जाने पर कठिन प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है।

स्त्री हत्या का निषेध

वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति के प्रथम लिखित दस्तावेज हैं। वहाँ किया गया स्त्रीहत्या का निषेध परवर्ती भारतीय शास्त्रीय परम्परा में सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया गया है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कथन प्राप्त होता है कि स्त्री की हत्या नहीं करते हैं।[1] आर्षकाव्यों में भी स्त्रीहत्या का स्पष्ट निषेध मिलता है। रामायण व महाभारत आर्ष काव्य माने जाते हैं। इन्हें भी शास्त्र के समान महत्त्व प्राप्त है। रामायण के नायक राम तो आदर्श नायक के रूप में स्थापित हैं। रामायण में स्पष्ट कथन प्राप्त होता है कि स्त्रियों की हत्या नहीं करनी चाहिए।[2] सीता को मारने को उद्यत रावण को उसका मन्त्री समझाता है कि

Scanned with CamScanner